

सेवामें,

श्रीमान विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन०आई०एक्ट कैसेस)

क्र०स०-1

उदयपुर (राज०)

अरविन्द लखारा

बनाम

कविश शर्मा

मु०न०

/2019 रै०फौ०

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा - 446 जा०फौ०

उक्त अनवान प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त कविश शर्मा पिता श्री अशोक कुमार शर्मा , उम्र बालिग, निवासी- राडाजी चौराहा, उदयपुर (राज०) की और से सविनय निवेदन है-

- 1- यह की प्रार्थी / अभियुक्त के बीमार हो जाने के कारण विगत पेशी पर प्रार्थी / अभियुक्त उपस्थित नहीं हो सका जिस कारण से आप श्रीमान न्यायालय द्वारा प्रार्थी / अभियुक्त का जमानती वारंट/गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया तथा आज प्रार्थी / अभियुक्त स्वयं माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो रहा है ।
- 2- यह की प्रार्थी अभियुक्त के जमानती की और से भी यही कारण एवं जवाब आप न्यायालय में पेश है।
- 3- यह की प्रार्थी / अभियुक्त की अनुपस्थिति का वाजिब एवं उचित कारण रहा है तथा आयंदा भविष्य में आप न्यायालय के आदेशानुसार बराबर पेशियों पर हाजिर अदालत रहेगा ।

अतः श्रीमान न्यायालय से निवेदन है आप न्यायालय द्वारा प्रार्थी / अभियुक्त के विरुद्ध खोली गयी 446 की कार्यवाही को इसी स्टेज पर ड्रॉप फरमाई जाने का आदेश प्रदान करावे ।

उदयपुर

दिनांक

हस्ताक्षर